बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २१ मार्च, १९५६ को पूर्वाह्न १० बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative business : Official Bill :

बिहार फाइनेन्स बिल, १९५६ (१९५६ की वि० सं० २)।

THE BIHAR FINANCE BILL, 1956 (BILL NO. 2 OF 1956).

श्री रामचरित्र सिंह—मैं बिहार फाइनेन्स बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५६ (१९५६ की वि० सं० ३)।

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1956 (BILL NO. 3 OF 1956).

श्री रामचरित्र सिंह—मैं बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार फाइनेन्स बिल, १९५६ (१९५६ की वि० सं० २)।

THE BIHAR FINANCE BILL, 1956 (BILL NO. 2 OF 1956)

श्री रामचरित्र सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार फाइनेन्स बिल, १९५६ पर विचार हो।

श्री रामजनम महतो—मैं इसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष—विरोध में कुछ कहना तो विरोधी दल के सदस्यों का काम है। मैं इस बिल को चाहता हूं कि सबेरे खत्म कर दूं और मैंने इस पर सभा की राय भी ले ली है।

श्री रामचरित्र सिंह—श्री राम जनम महतो का जो मोशन है वह तो डायलेटरी है। इसमें ओपोजीशन की क्या जरूरत है।

श्री मुद्रिका सिंह—जब मिनिस्टर नहीं रहें तो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को उत्तर देना चाहिए।

श्री रामचरित्र सिंह—अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह से मिले तो उस विभाग के मिनिस्टर का रहना जरूरी होता है। अन्यथा अगर आप कहें तो जिस तरह हो उत्तर मिल जाय तो इसका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री मुन्द्रिका सिंह—डिप्टी मिनिस्टर किस मर्ज की दवा हैं ?

श्री रामचरित्र सिंह—जो-जो मर्ज होगा सब की दवा करेंगे।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—पहले यह कहा जाता था कि मिनिस्टर की ज्वायन्ट रिस्पौंसिविलिटी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह ज्वायन्ट रिस्पौन्सिविलिटी नहीं रही ?

अध्यक्ष—मैं ने पहले ही हुक्म दे दिया है कि ये प्रश्न नहीं लिये जायेंगे।

श्री त्रिवेणी कुमार—हमको आपके हुक्म पर एतराज नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष—मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and answers.

MISMANAGEMENT IN AGRAWAL HIGH SCHOOL.

375. Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Education Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that there is great public agitation against the mismanagement prevailing in the Agrawal High School, Belaganj in the district of Gaya ;

(2) whether it is a fact that a teacher of this school had to undertake fast in order to press his demands ;

(3) what were his demands ;

(4) what is the report of the District Inspector of Schools, the Subdivisional Officer and the District Magistrate about it ;

(5) what further action is being contemplated by the Government in this regard ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर हां है।

(३) शिक्षक के निम्नलिखित मांगें थीं।

(क) मैनेजिंग कमिटी का पुनः निर्माण ;

(ख) हेडमास्टर का निष्काशन ;

(ग) शिक्षकों के प्रॉविडेन्ट फन्ड की पूर्त्ति।

(४) जिला शिक्षाध्यक्ष, एस० डी० ओ० तथा जिलाधीश ने एड हॉक कमिटी बनाने की सलाह दी थी।

५। एड हॉक कमिटी ने चार्ज ले लिया है और सभी दोषों की शीघ्र जांचकर दूर किया जायगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—क्लॉज ४ का जवाब ठीक से नहीं मिला।

अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, एस० डी० ओ० तथा कलक्टर ने जांच की।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—उन लोगों ने रिपोर्ट दी है कि एड हॉक कमिटी बना दी जाय।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—इसके अलावे डी० आई०, एस० डी० ओ० तथा कलक्टर ने मिसमैनेजमेन्ट के बारे में तथा हेडमास्टर के इल्लिगल रहने पर क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—कोई खास रिपोर्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि एड हॉक कमिटी बना दी जाय।

अध्यक्ष—क्या अनशन टूट गया है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह—जी हां। मैं इस केस में इन्टरेसटेड हूं। क्या सरकार उस रिपोर्ट को टेबुल पर रख सकती है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—हमलोग रिपोर्ट को कनफिडेनसियल मानते हैं और टेबुल पर रखने का नियम नहीं है लेकिन मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है।

अध्यक्ष—अगर आप नहीं रखना चाहते हों तो नहीं रख सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है लेकिन आप पब्लिक इन्टरेस्ट में रोकना नहीं चाहते हैं तो रख दें।

श्री बदरीनाथ वर्मा—मैं इसकी कापी कराकर रख दूंगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसके बाद मैं चाहूंगा कि एड हॉक कमिटी जो बनी है उसको सरकार का क्या आदेश है। इसे यह इन्सट्रक्शन है या नहीं कि और इरेगुलरिटीज के बारे में जांच करे और स्टेप ले?

श्री बदरीनाथ वर्मा—एड हॉक कमिटी का काम है कि सब चीजों की जांच करे।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—साधारणतः एड हॉक कमिटी को सब चीजों की जांच करने का अधिकार नहीं रहता है जब तक कि डिपार्टमेन्ट स्पेसिफिक इन्सट्रक्शन न दे दे इसलिये क्या इस कमिटी को यह आदेश दिया गया है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—कोई स्पेसिफिक इन्सट्रक्शन नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ ऑडिट होगा और हिसाब की जांच होगी।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—ऑडिट तो नारमल एफेयर है यह कोई खास बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस औचित्य पर विचार करना चाहती है या नहीं कि इस कमिटी को क्लीयर इन्सट्रक्शन दिया जाय कि और मामलों की जांच करके उनपर कार्रवाई की जाय?

श्री बदरीनाथ वर्मा—इस पर विचार किया जायगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—क्या एड हॉक कमिटी को अधिकार प्राप्त था कि मैनेजिंग कमिटी अथवा हेडमास्टर ने जो गलत काम किया है उसे वह ठीक कर दे?

Shri BADRI NATH VARMA : The Ad Hoc Committee has been asked to settle all school matters and to take action on all irregular actions.

STATEMENT LAID ON THE TABLE IN REPLY TO SHORT NOTICE QUESTION NO. 375.

COLLECTOR'S HOUSE, GAYA,

[Immediate.]

Confidential D. O. No. 3187/E.

The 24th December, 1955.

SUBJECT.—Affairs of the Agrawal H. E. School, Belaganj. Hunger-strike by Shri Basudeo Lal, Assistant Teacher.

My dear Mazumdar,

IN continuation of my memo. no. 3102/E., dated the 17th December, 1955, on the above subject, I have to report that Shri Basudeo Lal, Assistant Teacher of Agrawal H. E. School, Belaganj resumed his hunger-strike from 10 A. M. on the 22nd December, 1955. A copy of letter no. 2160, dated the 25th December, 1955 of the District Inspector of Schools, Gaya is forwarded herewith for your information.

It appears from the report of the Medical Officer, Belaganj, that the condition of Shri Basudeo Lal is deteriorating. While it would be improper for Government to be stampeded in taking precipitate action merely because of the hunger-strike, the local officers believe, and I concur, that there are good grounds for superseding the present Managing Committee of the school and substituting it by an ad-hoc Committee consisting of (1) Sadar Subdivisional Officer, (2) the District Inspector of schools and (3) the Anchal Adhikari, Belaganj.

The hunger-strike has a far-reaching political implication because the background of the strike is Bhumihar and non-Bhumihar struggle that has been going on in the school. If the present struggle continues unabated, the political repercussions would be undesirable. I would request, therefore, that early orders for the supersession of the present Managing Committee of the school and setting up of an ad-hoc Committee on the lines suggested above may be expedited.

I have issued instructions to the local officers that if the condition of Shri Basudeo Lal should deteriorate further, he should be removed to the Pilgrims' Hospital, Gaya.